

कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

देवरिया बाई पास रोड, रामगढ़ताल परियोजना, गोरखपुर ।

प्रदेशन पत्र

संख्या / दस-सम्पत्ति / गो0वि0प्रा0 / 2024-25, दिनांक- / / 2024

सेवा में,

श्री / श्रीमती.....

पुत्र / पत्नी.....

पता-.....

.....

..... ।

महोदय / महोदया,

आप द्वारा प्राधिकरण की राष्ट्रीय विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी आवासीय योजना के अर्न्तगत आवेदन संख्या-ORA2024-----, दिनांक----- को रु0----- (रूपया -----) मात्र प्राधिकरण निधि में जमा करके भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण कराया गया है। उक्त योजना की दिनांक----- को सम्पन्न लाटरी में आप के पक्ष में भूखण्ड संख्या-----, क्षेत्रफल----- वर्ग मीटर आवंटित किया जाता है, जिसके विरुद्ध निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान करना होगा:-

(क) भूखण्ड का क्षेत्रफल----- वर्ग मीटर है, जिसका मूल्य रु0----- मात्र है।

(ख) जमा पंजीकरण 10% धनराशि रु0----- मात्र।

(ग) एक मुश्त देय धनराशि रु0----- मात्र आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर दिनांक- / / 2024 तक जमा करनी होगी।

(घ) आवंटन के पश्चात् भूखण्ड मूल्य का 25 प्रतिशत देय धनराशि रु0----- मात्र आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर दिनांक- / / 2024 तक जमा करनी होगी।

(ङ) भूखण्ड मूल्य का अवशेष धनराशि रु0----- मात्र पर 05 वर्षों में 10 प्रतिशत ब्याज लगाकर बनायी गयी किश्त रु0----- मात्र मासिक किश्तों में प्रथम किश्त जो दिनांक----- से देय होगा। शेष किश्तें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक जमा करनी होगी।

(च) विविध शुल्क :-

आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या-----, क्षेत्रफल----- वर्ग मीटर में नियमानुसार निम्नलिखित धनराशि अतिरिक्त जमा करना होगा:-

1- भूखण्ड के पास उपलब्ध.....X.....वर्ग

मीटर अतिरिक्त भूमि का मूल्य

रु0-----X.....

2- कार्नर शुल्क भूखण्ड के मूल्य का 10 प्रतिशत

रु0-----X.....

3- फ्रीहोल्ड चार्ज भूखण्ड मूल्य का 12 प्रतिशत

रु0-----

4- अन्य शुल्क

रु0-----X.....

योग- रु0-----

अतः उपरोक्त धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर दिनांक- / / 2024 तक प्राधिकरण निधि में जमा करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः2/-

(छ) विक्रय-विलेख हेतु नियमानुसार स्टाम्प पेपर व निबन्धन शुल्क देय होगा।

नोट :- (1) किसी भी देय धनराशि को विलम्ब से जमा करने पर 13 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त दण्डात्मक ब्याज देय होगा, जो अधिकतम तीन माह तक देय होगा।

(2) भूखण्ड का मूल्य पूर्णतः अनुमानित है, योजना पूर्णतः विकसित होने या न्यायालय के आदेश अथवा किन्हीं अन्य कारणों से भूखण्ड मूल्य में बढ़ोत्तरी होगी, तो वह आवंटी द्वारा विक्रय-विलेख सम्पन्न होने से पूर्व देय होगा।

उपरोक्त विवरण में अंकित धनराशि को **ICICI BANK LTD.**, शाखा-देवरिया बाई-पास रोड तारामण्डल, गोरखपुर के माध्यम से खाता संख्या-**740905000993**, आई0एफ0एस0सी0 कोड नं0-**ICIC0007409** में निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करना आवश्यक होगा। आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो पंजीकरण के लिए निर्धारित धनराशि रु0-..... मात्र का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। परन्तु जो आवंटी निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा नहीं करते हैं अथवा धनराशि जमा करने के पश्चात् आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के पश्चात् किन्हीं परिस्थितियों में आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना-पत्र दिया जाता है, तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत के साथ सम्पत्ति मूल्य का 13 प्रतिशत की दर से अधिकतम 02 माह का ब्याज भी पंजीकरण धनराशि में से कटौती करते हुए उनका पंजीकरण तथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी।

यदि किसी मामले में आवंटी द्वारा अतिरिक्त समय लिया जाता है, तो प्रदेशन-पत्र की तिथि से निरस्तीकरण की तिथि तक की पूर्ण अवधि का ब्याज तथा पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती की जायेगी। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर आवासीय भूखण्डों पर निर्माण कार्य करने हेतु अनुमन्य अथवा प्रदेशन-पत्र की निर्गत तिथि से 03 वर्ष है।

(3) आवंटन/प्रदेशन-पत्र औसत क्षेत्रफल के आधार पर निर्गत किया जा रहा है, लीज प्लान प्राप्त होने पर विशिष्ट स्थिति एवं क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्राधिकरण के नियमों के अन्तर्गत यदि कोई अतिरिक्त धनराशि देय होती है, तो उसकी मांग अतिरिक्त मांग पत्र भेज कर की जायेगी।

सहायक सम्पत्ति अधिकारी,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।